R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B Part - IInd
Paper - VIth
Environmental Law

पर्यावरणीय विधि के संवैधानिक आधार

भारत का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। यह विधि व्यवस्था का मूल मानक है। भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत को संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र स्थापित करना है। इसके साथ ही समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने भी संविधान की प्रतिबद्धता का अंग है। सांविधानिक प्रतिबद्धताएँ स्वस्थ पर्यावरण - प्राकृतिक एवं मानवीय में ही पुष्ट हो सकती है।

भारत का संविधान विश्व के कतिपय संविधानों में से एक है जिसमें पर्यावरणीय संरक्षण संबन्धी प्रावधानों का विशिष्टत: उल्लेख किया गया है। संविधान

में मूल अधिकारों और राज्य के नीति-निदेशक तत्वों जिन्हें संविधान की आत्मा कहा गया है, के साथ-साथ मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। पर्यावरण के प्रति नवीन एवं क्रांतिकारी रुझान- मानव पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक चिंता के स्टॉकहोम घोषणा, 1972 के उपगार के साथ भारत में पर्यावरणीय सोच में चतुर्दिक विकास हुआ है। संविधान के बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम 1976 इस विकसित सोच का सशक्त उदाहरण है। इसके द्वारा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों तथा विधायी प्रविष्टियों में संशोधन के साथ-साथ मूल कर्तव्य का निर्माण किया गया है। न्यायालयों ने सृजनात्मक व्याख्या के माध्यम से मूल-अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण को अंतर्विष्ट माना है।

पर्यावरणीय विधि के सांविधानिक आधारों का वर्णन सांविधानिक मूल उपबंधों एवं विधायी शक्तियों के वितरण के आधार पर किया गया। प्रथम तरह के प्रावधान विधायिका को सम्बन्धित विषय पर विधि अधिनिर्मित कर अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण करने हेतु अधिकृत करते हैं। प्रथम तरह के प्रावधानों की पर्यावरणीय महत्ता अंतर्राष्ट्रीय परिवेश एवं न्यायिक सृजनात्मक विश्लेषण के कारण है जबकि द्वितीय तरह के प्रावधान पूर्व से वर्णित होने के कारण पर्यावरणीय समस्याओं समस्याओं सम्बन्धित

है। पर्यावरणीय विधि विकास का आधार के रूप में संवैधानिक पहलू के दृष्टिकोण से निम्न शीर्षकों के अंतर्गत इसका वर्णन करना ज्यादा समीचीन है।

(i) पर्यावरण सम्बन्धी विषयों का केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी वितरण :-

संविधान निर्माण के समय पर्यावरण का मुद्दा इतना मुखर होकर सामने नहीं आया था। अंततः संविधान निर्माण सभा ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि पर्यावरण को केन्द्रीय विषय माना जाय अथवा राज्य विधायिका का विषय माना जाय। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुख्यतः तीन मुद्दों पर विशेष बहस हुई। प्रथम जुलाई 1949 में कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव था कि वन एवं मत्स्य शिकार को द्वितीय सूची अर्थात राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया जाय। कृषि मंत्रालय का दलील था कि वन कृषि विकास एवं पूरे देश की सम्पन्नता को प्रभावित करती है और किसी भी राज्य को अनजाने ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए जो कि शेष देश के लिए हानिप्रद हो। कृषि मंत्रालय ने उदाहरण दिया कि अलग-अलग राज्यों की नियंत्रण वाले वनों के मनमाना कटान के कारण समतल क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ सकता है। भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं प्रान्तों ने इसका विरोध किया और वन एवं मत्स्य को राज्य सूची में ही रहने दिया गया। द्वितीय 'लोक स्वास्थ्य और आरोग्य को राज्य

(4)

सूची से हटाकर समवर्ती सूची के जन्म-मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत "जन्म-मरण की पंजीकरण शामिल है" के अंतर्गत रखने की सिफारिश स्वास्थ्य एवं गृह मंत्रालय द्वारा की गई। इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। तृतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफलतापूर्वक अन्तर्राज्यिक नदियों को विनियमित करने की शक्ति संसद के हाथों में देने की वकालत की जिससे औद्योगिक अपशिष्टों एवं मलमूत्रों के नियंत्रण द्वारा नदियों के प्रदूषण को रोका जा सके। प्रारूप प्रविष्टि 74 की भाषा थी, "बाढ़ नियंत्रण सिंचाई नौकायन और जलविद्युत ऊर्जा और अन्य उद्देश्यों हेतु अन्तर्राज्यिक नदियों एवं अन्तर्राज्यिक जलमार्गों का विकास जहाँ केन्द्र के नियंत्रणाधीन ऐसा विकास संसदीय विधि द्वारा लोकहित में आवश्यक घोषित किया गया है। यह वर्तमान प्रविष्टि 56, संघ सूची का भाग है। केंद्र और राज्यों के बीच पर्यावरण प्रभावित करने वाले विषयों का वितरण (मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम-1935 की योजना के अनुरूप ही अपनाया गया। संविधान के बयालिसवें संशोधन द्वारा केन्द्र की पर्यावरणीय वरीयता को देखते हुए वन और वन्य जीवन संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है।

केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का पर्यावरण विषयक वितरण इस प्रकार है। संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा अथवा उसके किसी भी भाग के लिए तथा राज्य विधायिकाएँ पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए सम्बन्धित विषयों पर विधि निर्माण कर सकेंगी।